न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू
पीठासीन अधिकारी सुश्री रक्षा पारीक (आरएएस)

दावा संख्या 8/2017

उनवान

श्योजी बनाम मीठूलाल

अधिवक्ता वादी :–श्री विवके चौधरी
अधिवक्ता प्रतिवादीगण :– श्री कैलाश चौधरी

निर्णय दिनांक : 20.9.2017

प्रार्थना पत्र मौके की रिपोर्ट हेतु कमिश्नर नियुक्त बाबत

## निर्णय

अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में प्रार्थना पत्र मौके की रिपोर्ट हेतु कमिश्नर नियुक्त करने का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रकरण में भूमि ख0न0 128 के बटा नम्बरो के आधार पर है जबकि रिकार्ड नक्शा शीट में ख0न0 128 के बटा नम्बरो का अंकन नही है जिसकी वजह से पक्षकारो के अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो रहा है प्रकरण के निस्तारण के कारण मौका रिपोर्ट तलब की जाना न्याय संगत है तथा वाद ग्रस्त भूमि पर अनको लोगो के मकान बाडा अने हुए है और काश्त भी कर रहे है इस कारण विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट मगवाई जाने हेतु कमिश्नर नियुक्त किया जावे ।

अधिवक्ता वादी की और से प्रार्थना पत्र में वादी के प्रार्थना पत्र के जवाब में निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार नही है ,वादी उक्त आराजीयात का रिकार्डेड काबिज काश्तकार है प्रतिवादी का उक्त आराजी से कोई दुर तक का भी सम्बन्ध नही है। कब्जा करने के लिए न्यायालय द्वारा मौका कमिश्नर नियुक्त नही किया जा सकता अप्रार्थी द्वारा प्रकरण को डिले करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे ।

हमने वादी प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस सुनी। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया तथा प्रतिवादी अधिवक्ता ने दौहराने बहस में प्रार्थना पत्र के जवाब में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया

हमने प्रार्थना पत्र एवं उसके जवाब एवं अभिभाषकगणो की बहस व प्रज्ञतुत नजीर का अवलोकन किया । अतः कमिश्नर द्वारा मौका निरीक्षण आवेदन खारिज योग्य है, चूंकि स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद –साक्ष्य एकत्रित करने हेतु कमिश्नर नियुक्त नही किया जा सकता कब्जे का तथ्य मूल वाद में साक्ष्य द्वारा पक्षकारो को साबित करना है अतः प्रार्थना पत्र मौके की रिपोर्ट हेतु कमिश्नर नियुक्त करने का सारहीन आधारहिन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले में न्यायलय आज दिनांक 20.9.2017 को सुनाया गया

( सुश्री रक्षा पारीक )
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी पीपलू